

सं.राबैप्रका/पुवि-जीएसएस/ 151/एसीएबीसी-1/2023-24

दिनांक- 03 मई 2023

परिपत्र संख्या : 78 / पुवि-11 / 2023

अध्यक्ष / मुख्य कार्य पालक अधिकारी / प्रबंध निदेशक  
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  
राज्य सहकारी बैंक / राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक  
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक  
नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र अन्य संस्थाएं

महोदया / प्रिय महोदय,

### एसीएबीसी योजना को जारी रखने के संबंध में निर्देश (वित्त वर्ष 2023-24 हेतु)

कृपया दिनांक 22 दिसंबर 2022 के हमारे परिपत्र सं.255/डोर-85/2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से एसीएबीसी योजना को मार्च 2023 तक जारी रखने हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन अग्रेषित किए गए थे।

Please refer to our circular No.255/DoR-85/2022 dated 22<sup>nd</sup> December 2022 forwarding therewith the approval of GoI for implementation of the ACABC scheme upto March 2023.


2. हम सूचित करते हैं कि विस्तार निदेशालय, भारत सरकार से हमें व्यय वित्त समिति (EFC) के अनुमोदन के आधार एसीएबीसी योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है जो कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के अनुमोदन के विचाराधीन है। इस संबंध में भारत सरकार से दिनांक 03.04.2023 का प्राप्त पत्र एफ संख्या.1(1)/2020-एसीएबीसी/ईएम संलग्न है। योजना की मुख्य विशेषताएं अपरिवर्तित रहेंगी।

2. We have since received a communication from Directorate of Extension, GoI informing the continuation of AC&ABC programme for the current financial year 2023-24 based on the approval of the Expenditure Finance Committee (EFC) subject to the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA). A Copy of the GoI letter F.No.1 (1)/2020-ACABC/EM dated 03<sup>rd</sup> April 2023 in this regard is enclosed. The salient features of the scheme remain unchanged.

3. कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों/ ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों हेतु) और शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।

3. You may please advise your Controlling Offices/District Central Cooperative Banks (in case of State Cooperative Banks) and branches accordingly.

भवदीया

  
(निवेदिता तिवारी)  
महाप्रबंधक

संलग्न : यथोपरि

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक  
National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2652 4926 • फेक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

परांकन संदर्भ सं.राबैप्रका/पुवि-जीएसएस/ 152 - 181/एसीएबीसी-1/2023-24 तददिनांक

प्रति सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को अग्रेषित :

- 1) विस्तार निदेशालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 2) मुख्य महाप्रबंधक / प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान, को इस अनुरोध के साथ कि अपने राज्य के एसएलबीसी, वित्तीय संस्थाओं और डीडीएम को तदनुसार सूचित करें।

ज्योति

(ज्योति एस.नैनिवाल)  
उप महाप्रबंधक